न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/21 निर्णय दिनांकः– 16-11-2023
(जीसीएमएस संख्या 2021/7)

1. गुरदेवसिंह पुत्र रूपसिंह जाति जटसिख निवासी पालेवालीढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 10–03–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 10–03–1999 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को चक 19 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 180/62 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् नियमित रूप से किश्तें भी खजानाराज में जमा करवाई जा रही थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ऐसी स्थिति में आवंटन पश्चात् अपीलांट् द्वारा नियमित रूप से किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट की कोई किश्त बकाया भी है तो अपीलांट आज दिनांक तक बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–03–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 28–12–20 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 10-03-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 28-12-2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1997 में अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन पर यह साबित है कि अपीलांट् द्वारा निर्धारित राशि 49274/- की 35 प्रतिशत राशि रूपये 17250/- जरिये चालान संख्या 468 दिनांक 04-01-1997 खजानाराज में जमा करवाई गई। जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तो किश्तों के अभाव में अपीलांट् के विधिवत आवांटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10—03—1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो, अपीलांट् की यदि कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.11.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर